भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3106

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है

पचवारा उत्तर कोयला ब्लॉक का आवंटन

3106. श्री राजकुमार रोतः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) को 26.04.2005 को अमरापाड़ा स्थित पचवारा उत्तर कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था और यदि हां, तो आवंटन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कोयला ब्लॉक के भीतर लगभग 1,830 एकड़ भूमि का विधिवत अधिग्रहण नहीं किया गया था और डब्ल्यूबीपीडीसीएल द्वारा 2005 से 2025 के बीच पर्याप्त मुआवजा प्रदान नहीं किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कोयला ब्लॉक के सभी खनन परमिट निजी फर्म बीईएमपीएल के नाम पर जारी किए गए हैं और यदि हां, तो परमिट जारी किए जाने के उपबंधों संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी संबंधित दस्तावेजों और विनियमों की प्रतियां प्रदान की जाएं; और

(घ) क्या उक्त कोयला ब्लॉक को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया था और क्या बाद में सभी अवैध ड्रिलिंग परमिट डब्ल्यूबीपीडीसीएल को हस्तांतरित कर दिए गए थे और यदि हां, तो इन परमिटों को किस आधार पर हस्तांतरित किया गया था?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 26-04-2005 को पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) को झारखंड राज्य में पचवाड़ा (उत्तरी) कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था। कोयला ब्लॉक को बंगाल एम्टा कोल

माइंस लिमिटेड (बीईसीएमएल) द्वारा विकसित किया गया था, जो पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल), दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और एम्टा कोल लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है।

(ख) : भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत बंगाल एम्टा कोल माइंस लिमिटेड (बीईसीएमएल) द्वारा 1830.28 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मौजूदा भूमि दरों के आधार पर परिकलन की गई मुआवजे की राशि संवितरण के लिए जिला प्रशासन, पाकुड़ के पास जमा की गई थी।

(ग) : जी नहीं, पचवाड़ा (उत्तर) कोयला ब्लॉक के लिए खनन परमिट/खनन पट्टा बीईएमपीएल के नाम जारी नहीं किया गया था। इसे बंगाल एम्टा कोल माइंस लिमिटेड (बीईसीएमएल) के नाम जारी किया गया था।

(घ) : पचवाड़ा (उत्तर) कोयला ब्लॉक का आवंटन वर्ष 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। रद्द होने के बाद, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) को पचवाड़ा (उत्तरी) कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पूर्व आवंटी (बीईसीएमएल) के सभी सांविधिक लाइसेंस, परमिट, अनुमति, अनुमोदन या सहमति पूरी तरह से और नितांत रूप से हस्तांतरित और आवंटी (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) में निहित थे।

*****